कार्यालय आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय: नई दिल्ली।

संख्या/131/जन संपर्क शाखा/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली दिनांक 5/5/2022

सेवा में,

संपादक,
नवभारत टाइम्स,
नई दिल्ली।

विषय: **आज के संस्करण में प्रकाशित "राजनीतिक फायदे के लिए बुल्डोजर, तो नहीं मिलेगी फोर्स: दिल्ली पुलिस" शीर्षक की निराधार खबर.**

महोदय,

कृपया आज दिनांक 05 मई 2022 के आपके संस्करण में उपरोक्त शीर्षक से छपी खबर का अवलोकन करें। खबर का शीर्षक पूर्णतया निराधार एवं तथ्यहीन है जो अनावश्यक रूप से दक्षिण पूर्वी जिले की तरफ से जारी पत्र के मंतव्य को तोड़ मरोड़कर गलत रूप में प्रदर्शित करता है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि साउथ एमसीडी द्वारा शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बदरपुर, लाजपत नगर और सरिता विहार में अतिक्रमण के खिलाफ 05 मई से 08 मई 2022 तक कार्रवाई की योजना थी। इस कार्रवाई के लिए पुलिस से पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। जवाब में दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्मों को अगले सप्ताह में निर्धारित करने का अनुरोध किया था ताकि जिले की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया जा सके। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, इस पत्राचार में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। आपके प्रकाशन में छपे लेख में दिल्ली पुलिस का हवाला देते हुए एक सरासर गलत शीर्षक एवं अंतर्निहित विषय प्रकाशित किया गया है।

खबर में उल्लेखित तथ्यों से पाठको के बीच एक ऐसा संदेश जा रहा है जो दिल्ली पुलिस की निष्पक्ष बल की छवि को अनावश्यक रूप से आहत करता है.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपसे यह अनुरोध है कि इस स्पष्टीकरण को उचित स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ताकि आपके पाठकों को सही जानकारी मिल सके। तथा सम्बंधित संवाददाता को उपयुक्त निर्देश दें कि ऐसी संवेदनशील खबर को लिखने से पहले विभाग के अधिकृत अधिकारी से तथ्यों की पुष्टि कर लें।

भवदीय

अन्येष रॉय
5/5/22

(अन्येष रॉय)
जनसंपर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली